

न्यायालय—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट न० 11, जौनपुर।
वाद संख्या —1019/ 2022
अमिता —बनाम —सुरेश व अन्य

दिनांक—23.11.2022

प्रकरण प्रस्तुत। आवेदिका अमिता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा—155 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता पर विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

थाना की आख्या के अनुसार प्रकरण की विवेचना प्रचलित नहीं है।

उपलब्ध तथ्यों से प्रकरण की विवेचना कराया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः सम्बंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार एन०सी०आर० संख्या 114/ 2022 की विवेचना करे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जौनपुर।